[illegible]

19/3/15 पत्रा. [illegible]

[illegible]

पत्रा. [illegible]

[illegible]

सहायक कलेक्टर

[illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 93/2020
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 19.05.2025

1. भगवती देवी पुत्री नथोली पत्नी किशनसिंह जाति जाटव निवासी गगवाना तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—प्रार्थीया

बनाम

1. बलमत पुत्र तोफोनी जाति जाटव निवासी गगवाना तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. अनीता पत्नी महेश जाति जाटव निवासी गगवाना तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
4. सब रजिस्ट्रार लखनपुर।

— अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार, एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री महावीर एड. (अप्रार्थीगण की ओर से)

—::निर्णय::— प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह कि हाल आराजी खसरा नंबर 360 रकबा 1.09, 378 रकबा 0.47, 410 रकबा 0.57, 435 रकबा 0.85, 436 रकबा 0.54 वाके गगवाना तहसील नदबई में स्थित है। उक्त खसरा नंबर विगत खसरा नंबर 2028 के खसरा नंबरा 211 रकबा 4 बीघा 6 बि0, 245 रकबा 1 बी0 17 बि0, 247 रकबा 2 बीघा, 341 रकबा 1 बीघा 15 बि0, 342 रकबा 1 बीघा 12 बि0, 320 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा से बने हैं। एवं उक्त खसरा नंबर विगत 187 रकबा 1 बीघा 4 बि0, 209 रकबा 2 बि0, 220 रकबा 2 बी0 9 बि0, 222 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 223 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 321 रकबा 2 बीघा 4 बि0, 322 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 287 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा , 299 रकबा 2 बिस्वा से बनाए गए हैं। नकल जमाबंदी हाल संवत 2075 से 2078 व मिलान क्षेत्रफल पेश है।

19/5/25

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 की आराजीयात प्रार्थीया के बाबा मवासी पुत्र जोधा की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है। प्रार्थीया मवासी की सगी नातिन है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया के चाचा तोफानी का सगा पुत्र है। एंवं अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीया की बुआसा है एवं प्रतिवादी संख्या 3 प्रार्थीया का सगा भतीजा है एवं प्रतिवादी संख्या 9 सगी भतीजी है एवं प्रतिवादी संख्या 10 प्रार्थीया का सगा भाई है। सजरा प्रार्थना पत्र में अंकित है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी प्रार्थीया के बाबा मवासी की खातेदारी काश्तकारी की पैतृक आराजी है। प्रार्थीया के पिता उक्त आराजी में संवत 2016 से सैटलमेंट से पूर्व खातेदार रहे हैं लेकिन संवत 2028 सैटलमेंट एवं बिना किसी अधिकार व निर्णय के उक्त आराजी को सैटलमेंट कर्मचारियों से मिलकर खसरा नंबर 378, 410, 435, 436 में प्रतिवादी संख्या 1 ने संपूर्ण की खातेदारी अपने नाम करवा ली थी जबकि प्रार्थीया के पिता नथोली का उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा बनता है तथा 1/2 हिस्से में प्रार्थीया व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 वाहिस्सा बराबर खातेदार रखती है। तथा मौके पर काबिज है तथा खसरा नंबर 360 में प्रतिवादी संख्या 1 की 86/109 का गलत खातेदारी अंकित है। जबकि प्रतिवादी संख्या 5 45/109 हिस्सा का खातेदार होना चाहिए। उक्त गलत इन्द्राजात के आधार पर प्रार्थीया को सख्त हकतलफी है। इसलिए प्रार्थिया अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन करवा कर अपने को अपने पिता नथोली के 1/2 हिस्से में में 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।

5. यह कि अप्रार्थी संख्या1 ने प्रार्थीया को दिनांक 07.09.2020 को यह धमकी दी है कि वह गलत इन्द्राजात के आधार पर उक्त आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को रहनवयमुन्तकिल कर देगा। उक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद न हो सकेगी अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

6. अंत में प्रार्थना की कि प्रार्थना पत्र 212 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जावे कि विवादित आराजीयात में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे तथा रहनवयमुन्तकिल नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री महावीर प्रसाद एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 4 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

19/5/25

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 की आराजी ग्राम गगवाना होना स्वीकार है।
2. यह कि मद संख्या 3 जिस प्रकार वर्णित की है वह अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीया भगवती देवी मृतक मवासी की नातिनी है लेकिन मृतक नथोली की पुत्री है। तथा मवासी के नाम जो खातेदारी की आराजी है वह विरासतन मृतक मवासी के पुत्रान नथोली व तोफोनी को प्राप्त हुई है जो प्रार्थीया का विरासत के आधार पर उसका हिस्सा नथोली के नाम दर्ज खातेदारी की आराजी में बनता है। प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है।
3. यह कि प्रार्थीया ने गैर सायलान के नाम जो आराजी हाल रिकॉर्ड में दर्ज है वह पूर्व में चले दावा उनवानी खरगसिंह बनाम बलमत वगै0 में राजीनामा दिनांक 01.09.2000 के आधार पर खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा सैटलमेंट विभाग द्वारा बलमत प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज होने की बात गलत है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्यों को छुपाकर वाद पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को कभी किसी दिनांक को कोई धमकी नहीं दी गई। तथा प्रार्थीया का अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी में कानूनन कोई हिस्सा नहीं बनता है क्योंकि प्रार्थीया नथोली की पुत्री है तथा अप्रार्थी बलमत तोफानी का पुत्र है। यदि प्रार्थी का कोई हिस्सा बनता है तो वह मृतक नथोली की आराजी में बनता है। इसलिए प्राईमाफेसी केस प्रार्थीया के हक में न होकर अप्रार्थीगण के हक में है। अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम गगवाना, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028, नकल जमाबंदी संवत 2028, नकल जमाबंदी संवत 2016–19, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 किता 2, नकल जमाबंदी संवत 2016, नकल जमाबंदी सवंत 2020–24, नकल जमाबंदी संवत भूप्रबंध विभाग किता 8 पेश किए गए।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव प्रार्थना के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 212 आरटीए नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि विवादित आराजी मद संख्या 2 की आराजीयात वाके ग्राम गगवाना स्थित है उक्त आराजी मवासी पुत्र जोधा के नाम थी। मवासी के दो पुत्र नथोली व तोफानी थे। नथोली के वारिस खरंगी, होतीराम, भगवती हैं तथा तोफानी के बलमत, दिलकौर व चन्दरी है। संवत 2028 के विवादित आराजी खसरा नंबर 187, 223, 220 संवत 2016 में मवासी के नाम दर्ज थे जिनको वर्तमान में बलमत के नाम दर्ज कर दिया है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीया के बाबा मवासी पुत्र जोधा की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीया मवासी की सगी

19/5/25

नातिनी है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी खसरा नंवर प्रार्थीया की पैतृक आराजी है। प्रार्थीया के पिता संवत 2016 में सैटलमेंट से पूर्व खातेदार रहे हैं परन्तु सैटलमेंट संवत 2028 में सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा खसरा नंवर 378, 410, 435, 436 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संपूर्ण खातेदारी के इन्द्राज दर्ज कर दिए गए। जबकि प्रार्थीया के पिता नथोली का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा बनता है तथा 1/2 हिस्सा में प्रार्थीया व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 के साथ वाहिस्सा वरावर रखती है। चूंकि विवादित आराजीयात पैतृक संपत्ति की आराजी है जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हिस्सा व हक निहित है। वर्तमान में विवादित आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्राईमाफेसी केस प्रार्थीया के हक में है। जब तक दावे का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक विवादित आराजीयात में जारीशुदा स्थगन आदेश को कंफर्म किया जाए ताकि विवादित आराजीयात की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनी रहे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि हाल रिकॉर्ड में अनीता पत्नी महेश, हेमन्त पुत्र खरगसिंह, गिरधर पुत्र खरग सिंह, बलमत पुत्र तोफानी दर्ज हैं। पूर्व में भी उक्त विवादित आराजी के संबंध में एक दावा चला है जिसका निस्तारण राजीनामा के आधार पर पूर्व में ही हो चुका है। प्रार्थीगण ने सन् 1991 से आदिनांक तक किसी प्रकार का कोई बेचान विवादित आराजी में से नहीं किया है एवं यदि भगवती का हिस्सा बनता है तो नथोली के वारिसान से प्राप्त करे। इनका प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि—

1. <u>पृथमदृष्ट्या केस</u>— प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश किया जिसमें वर्णित हाल आराजी खसरा नबर 378, 410, 435, 436 वाके ग्राम गगवाना स्थित है। हाल रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 बलमत पुत्र तोफानी के नाम दर्ज है। तथा खसरा नंबर 360 वाके ग्राम गगवाना बलमत पुत्र तोफानी, अनीता पत्नी महेश, गिरधर सिंह पुत्र खरग सिंह, हेमन्त पुत्र खरग सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा वाद अपने बाबा मवासी पुत्र जोधा की खातेदारी आराजीयात को लेकर पैतृक संपत्ति मानते हुए अपने हकों की घोषणा चाही है। उक्त खसरा नंबर विगत खसरा नंबर 2028 के खसरा नंबरा 211 रकबा 4 बीघा 6 बि0, 245 रकबा 1 बी0 17 बि0, 247 रकबा 2 बीघा, 341 रकबा 1 बीघा 15 बि0, 342 रकबा 1 बीघा 12 बि0, 320 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा से बने हैं। एवं उक्त खसरा नंबर विगत 187 रकबा 1 बीघा 4 बि0, 209 रकबा 2 बि0, 220 रकबा 2 बी0 9 बि0, 222 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 223 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 321 रकबा 2 बीघा 4 बि0, 322 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 287 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा , 299 रकबा 2 बिस्वा से बनाए गए हैं। आराजी प्रार्थीया के बाबा

19/5/25

मवासी की खातेदारी काश्तकारी की पैतृक आराजी है। प्रार्थीया के पिता उक्त आराजी में संवत 2016 से सैटलमेंट से पूर्व खातेदार रहे है। प्रार्थीया भगवती देवी मृतक मवासी की नातिनी है लेकिन मृतक नथोली की पुत्री है। तथा मवासी के नाम जो खातेदारी की आराजी है वह विरासतन मृतक मवासी के पुत्रान नथोली व तोफोनी को प्राप्त हुई है जो प्रार्थीया का विरासत के आधार पर उसका हिस्सा नथोली के नाम दर्ज खातेदारी की आराजी में बनता है। लेकिन उक्त आराजी तोफानी के नाम गलत दर्ज हुई है जिसके आधार पर गलत इन्द्राजात अप्रार्थी स. 1 व 2 के नाम चल रहे है में नथोली के हिस्से में हाल इन्द्राजात में 1/2 हिस्सा हाना पत्रावली पर प्रमाणित है। जिसमें भगवती देवी प्रार्थी का नथोली की पुत्री होने के कारण हाल आराजी मे दर्ज हिस्से 1/2 हिस्से में नथोली के हिस्सानुसार भगवती का हिस्सा बनता है। जिसको दावा के निस्तारण तक सुरक्षित रखना आवश्यक है। साथ ही सायल द्वारा बताया गया है कि सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा जो इन्द्राजात किये गये है वह गलत रूप से किये गये है चूकि विवादित आराजी लम्बे समय से अप्रार्थीगणो के नाम रही है। जो खातेदारी इन्द्रजात वो सही है अथवा नहीं यह तथ्य वाद पत्र में तनकीयात कायम कर दोनो पक्षकारो की साक्ष्य लेकर मैरिट पर तय किया जावेगा। इसलिए एक खातेदार को कानून स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है तो उनके खातेदारी अधिकारो का कुठारघात होगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान स्थिति को देखते हुऐ जारीशुदा स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना उचित है। अतः प्राईमाफेसी केस आशिंक रूप से अप्रार्थीगण के हक में साबित है।

2. <u>सुविधा का सतुलन</u> – चूंकि मामला प्रथमदृष्ट्या प्रार्थी के हक में साबित होता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में आशिंक रूप से साबित है।
3. <u>अपरिमित क्षति</u> – अगर उक्त जारीशुदा स्थगन आदेश से रिकॉर्डेड खातेदार एवं अन्य रिकॉर्डेड सहखातेदारों को पाबन्द किया जाता है तो उनके खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा जो एक अपरिमित क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपरिमित क्षति भी प्रार्थी के हक तक साबित होती है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी हाल आराजी खसरा नंबर 360 रकबा 1.09, 378 रकबा 0.47, 410 रकबा 0.57, 435 रकबा 0.85, 436 रकबा 0.54 वाके गगवाना तहसील नदबई में स्थित है।

19/5/25

प्रार्थी के हिस्से तक जारी शुदा स्थगन आदेश दिनांक 18.09.2020 को कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.5.25 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट सहायक नदबई (भरतपुर) राज॰

19/5/25
गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर नदबई
जिला भरतपुर

1 दो॰ 17 वि॰, 247 रुपया 2 पै॰